सारांकित प्रश्न क्र. - 1522 सदन में उत्तर देने का दि. - 16/3/2021
मान. विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा

[16/3/2021]

1/1

प्रश्न सं. [क. 1522]

प्रपत्र - क

परिशिष्ट - "37"

8.37 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को देयक दस्ती से (by hand) अथवा डाक से प्रेषित किये जाएंगे। उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर पंजीकृत डाक से भी देयक प्रेषित किये जा सकेंगे, तथापि इस प्रकार के देयक प्रेषण पर होने वाला व्यय उपभोक्ता से वसूली–योग्य होगा।

8.38 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय देयकों का वितरण, इनकी नगद भुगतान की नियत तिथि से कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व सुनिश्चित करेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अधिवास में परिवर्तन/परिसर को खाली करने पर मापयन्त्रों की विशेष वाचन व्यवस्था : (Special Reading of Meters in cases of Change of Occupancy/Vacation of Premises for Domestic Consumers)

8.39 विद्युत संयोजन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह अपने अधिवास में परिवर्तन अथवा परिसर को खाली किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क कर मापयन्त्र का विशेष वाचन किया जाना सुनिश्चित करे।

8.40 संयोजन के वर्तमान स्वामी (owner)/प्रयोक्ता (user) को परिसर के खाली किये जाने या अधिवास के परिवर्तित होने की स्थिति में, जैसा प्रकरण में लागू हो, अनुज्ञप्तिधारी को मापयन्त्र के विशेष वाचन (special meter reading) हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) दिवस पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8.41 उपभोक्ता के उपरोक्त आवेदन पर, अनुज्ञप्तिधारी विशेष मापयन्त्र वाचन करवाने की व्यवस्था करेगा एवं परिसर के रिक्त होने के कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व, देयक की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर देयक को अद्यतन् करते हुए, उसे अन्तिम देयक प्रदान करेगा। इस अन्तिम देयक में मापयन्त्र के विशेष वाचन की तिथि से परिसर के रिक्त होने की तिथि तक के प्रभारों को आनुपातिक आधार पर भी सम्मिलित किया जाएगा। मापयन्त्र के विशेष वाचन के प्रभारों की वसूली मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

8.42 मापयन्त्रयुक्त संयोजनों (metered connections) के देयक में उपभोक्ता के विवरण, मापयन्त्र वाचन, विद्युत खपत, बकाया राशि (यदि कोई हो), देयक तिथि, देयक भुगतान की अन्तिम तिथि संबंधी जानकारी, आदि समाहित की जाएगी। देयक में आयोग के निर्देशानुसार अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, भी शामिल की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को समय–समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वांछित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

तारांकित प्रश्न क्र. – 1522 सदन में उत्तर देने का दि. – 18/3/21
मान. विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा

प्रपत्र ब
~~परिशिष्ट – ब~~

इस प्रकार अनन्तिम तैयार किये गये देयक की राशि का समायोजन बाद में अनुवर्ती देयक–चक्र (billing cycle) में वास्तविक मापयन्त्र वाचन (meter reading) के आधार पर बनाये जाने वाले देयक में किया जायेगा। ऐसी अनन्तिम देयक प्रक्रिया को एक बार में दो से अधिक मापयन्त्र वाचन चक्रों के लिये जारी नहीं रखा जाएगा। आगामी मापयन्त्र वाचन चक्र के समय भी यदि मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित समय एवं दिनांक पर, मापयन्त्र वाचन हेतु अपना परिसर खुला रखने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में निर्धारित किये गये समय पर भी यदि उपभोक्ता द्वारा मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163(3) के अन्तर्गत 24 घण्टों की सूचना देकर संबंधित उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकेगा।

8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।

8.36 अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मापयन्त्रों (मीटरों) के प्रतिस्थापन (replacement) के बारे में पद्धति, प्रक्रिया और उत्तरदायित्व का एक विस्तृत अभिलेख तैयार करेगा।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल